

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.
 जस्टिस रिपोर्ट पटवारी हल्का शेर वनाम कीर सिंह पुत्र मोहरी जाट
 प्रकरण कर्तव्य द्वारा 91 रजिस्टार एक्ट

निर्णय दिनांक - 24-10-18

प्रकरण संख्या 86

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भूजिया
 की आ.ख.नं. 79 कुल रकबा 0.23 किरम जमीन अ-8 फेड में से 0.0-6
 रकबा पर श्री कीर सिंह पुत्र मोहरी जाट पर अनाविकृत रूप से अतिक्रमण कर 0.06 फेड देवा हुक्म
कोरल कब्जा कर शेर है। इस पर पटवारी हल्का शेर द्वारा दिनांक 11-10-18 नं जारी हुए

भू.अ.निरी. कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
 जाकर अतिक्रमी कीर सिंह पुत्र मोहरी जाट निवासी भूजिया को भू-
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
 कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी कीर सिंह पुत्र
मोहरी जाट उपस्थित आया। जबकि नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.नं. 79 रकबा 0.23 फेड में से 0.0-6 देवा
 रकबा किरम अ-8 फेड है जो नियमन के बाध्य नहीं है कि हाजा दौरसाधम को अतिक्रमित
 रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.21 फेड
 50 गुणा 169 रु. रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है नांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
 जाये, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी शेर भू.अ.निरी. कठूमर
 को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.

प्रतिलिपि - प. 8

रा. ले. सं. 4 के मुद्दे सं. 9 कर सं. 1
 सं. 2018-19 रकबा परी 16/- + 150/-
 की कायमी की गई

11/3/19
 तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

कठूमर (अलवर) राज.